

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

रीडर/2022/1271

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 21/7/2022

1 छगनाराम 2 पदमाराम 3
जुगताराम 4 फकीराराम 5
ताराराम पिसरान रतनाराम 6
पुनमाराम पुत्र देसलाराम 7
माधाराम 8 मालाराम 9 गुमनाराम
पिसरान पुनमाराम 10 बांकाराम
11 लालाराम 12 गजाराम
पिसरान पुरखाराम जाति कुमावत
निवासी नारणाणियों की ढाणी,
भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण
व जिला बाड़मेर।

1 प्रधानाध्यापक रामावि रूगोणियों की ढाणी भाड़खा 2
मेहराराम पुत्र अजीताराम 3 सवाईराम 4 सगताराम 5
ताजाराम 6 अनुपकुमार पिसरान खंगाराराम 7 गैरोदेवी
पत्नी खंगाराराम 8 सुजानाराम पुत्र प्रतापाराम 9 तीजो
पत्नी प्रतापाराम 10 शंकराराम 11 हडुमानराम पिसरान
वालाराम 12 जेताराम पुत्र पेमाराम 13 नेनूदेवी पत्नी
जगदीश 14 टीकमाराम पुत्र पेमाराम 15 शंकराराम 16
मांगीलाल 17 तेजाराम पिसरान भेराराम 18 हुकमाराम
19 लीलाराम पिसरान भोपाराम 20 खेताराम 21
बंशीलाल पिसरान नरसींगाराम 22 जतुदेवी पत्नी
नरसींगाराम 23 खुमानाराम 24 रमेश पिसरान
तुलसाराम 25 कमलादेवी पत्नी तुलसाराम जाति
कुमावत निवासी नारणाणियों की ढाणी भाड़खा तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 26 तहसीलदार बाड़मेर
ग्रामीण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 85/2022

दिनांक- 05.07.2022

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा नारणाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील बाड़मेर
ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 56 रकबा 35.16 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के
नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर
नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर
सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992
के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये
1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके
पर अदा किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)

उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2022/ 1272-1275
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक- 21/7/2022

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मथ रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. छगनाराम पुत्र रतनाराम वगैराह जाति कुमावत निवासी नारणाणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील
ग्रामीण व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी प्रधानाध्यापक रामावि रूगोणियों की ढाणी भाड़खा वगैराह निवासी नारणाणियों की ढाणी,
भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।